तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल.आर./547/2006/भरतपुर** **श्यामसिंह बनाम प्रीतमसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल–पीठ **श्री गौरव बजाड़, सदस्य** **उपस्थितः–** 1– श्री प्रदीप विश्नोई, अभिभाषक अपीलार्थी। 2– श्री मुकेश जैन, अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1 **निर्णय** **दिनांक –18.07.2025** यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विद्वान संभागीय आयुक्त, भरतपुर की अपील सं0 135/2006 में पारित निर्णय दिनांक 19–01–2006 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। जिसमें अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित निर्णय से अपील अपीलांट्स निराधार पाये जाने से खारिज की गयी है। 2– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की अपील पर बहस सुनी गयी। 3– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिये हैं कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय न्याय, नियम व रिकॉर्ड होने से काबिल निरस्तनीय है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपीलार्थीगण के वादग्रस्त भूमि को विक्रय किये जाने बाबत् कोई भी आदेश नहीं दिया गया जबकि दिनांक 07–08–1986 को विचारण न्यायालय द्वारा पारिवारिक समझौते के आधार पर विभाजन की डिक्री पारित की गयी थी। जिसमें अपीलार्थीगण को वादग्रस्त भूमि के साबिक खसरा नं0 795 हरिया पुत्र निहाला के पक्ष में विभाजन के जरिये प्राप्त हुई थी। जिसके	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल.आर./547/2006/भरतपुर** **श्यामसिंह बनाम प्रीतमसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नये नंबर 387, 388 व 522 बनाये गये। सम्वत् 2057-2060 में खाता नंबर 158 पर हरिया पुत्र निहाला कौम जाट साकिन लुदाई खातेदार दर्ज है। विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 09-04-2003 में जो कमीपूर्ति में रकबा दिया गया है, वह साबित खसरा नं0 794 के 5 बीघा खसरा नं0 916 का रकबा 1-05 बीघा एवं खसरा नं0 917 रकबा 0-14 बीघा का बताकर हाल खसरा नं0 407 में 0-05 है0 रकबा यानि अधिक रकबा दर्ज होना बताया है और नये खसरा नं0 523 में 0-08 है0 रकबा कमाबेशी अर्थात् अधिक दर्ज होना बताया है जबकि उक्त वर्णित साबिक हाल खसरा नंबरों से वादग्रस्त भूमि का कोई संबंध नहीं है और ना ही साबिक खसरा नंबर एवं वर्तमान खसरा नंबर का मिलान होता है। अपीलार्थीगण द्वारा खरीदा गया रकबा खसरा नं0 795 साबिक का रकबा है और जिसके नये खसरा नंबर 387, 388 एव 522 बनाये गये हैं जो रेस्पोडेन्ट सं0 2 व 3 के पिता हरिया के खाते में सम्वत् 2057 से 2060 में दर्ज है जिसमें कोई रकबा की कमीबेशी नहीं है परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा साबिका खसरा नं0 795 के रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा में 0-08 बीघा का कमीबेशी होना बताकर व अपनी खातेदारी का रकबा बताकर आदेश प्राप्त किया है जो कि न्यायोचित नहीं है तथा राजस्व रिकॉर्ड से भी मेल नहीं खाता है जिसे अपीलीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, भरतपुर द्वारा भी नजरअंदाज कर बिना राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किये ही तकनीकी बिन्दु एवं मियाद पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज कर दी जो कि उचित नहीं है। विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 09-04-2003 धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पारित किया गया है। जिसमें	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल.आर./547/2006/भरतपुर** **श्यामसिंह बनाम प्रीतमसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	केवल भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा की गयी राजस्व रिकॉर्ड में गलती को ही दुरूस्त किया जा सकता है। अन्य पुराने दस्तावेजात अथवा जमाबन्दी एवं वर्तमान जमाबन्दी में यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो केवल उसे दुरूस्त करने के अधिकार है। इसलिए विचारण न्यायालय का आक्षेपित आदेश दिनांक 09-04-2003 विधि विरूद्ध एवं क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण निरस्तनीय है जिसको अपीलीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, भरतपुर द्वारा नहीं देखा गया था। अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह माना है कि रेस्पोडेन्ट नारायणसिंह व गम्भीरसिंह द्वारा दिनांक 30-04-2003 को एकतरफा कार्यवाही को निरस्त करवाने का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 व आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया। जिसे विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 26-02-2004 को खारिज कर दिया। इसके विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा अपील अथवा निगरानी में कोई चाराजोही नहीं की है। इसलिए उन्हें यह अपील करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित निर्णय में दूसरा मुख्य कारण यह माना है कि अपीलार्थीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनने के प्रार्थना पत्र को खारिज करने के आदेश दिनांक 27-05-2005 के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है जबकि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 खारिज किया गया है। जिस प्रकरण में अपीलार्थीगण आवश्यक पक्षकार बनना चाहते हैं उसका निर्णय पूर्व में ही हो चुका है और अब केवल उसकी इज़राय अथवा अमल दरामद की कार्यवाही चल रही है। अपीलार्थीगण द्वारा अपील के साथ धारा 96 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी का पारिवारिक समझौते के अनुसार दिनांक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल.आर./547/2006/भरतपुर** **श्यामसिंह बनाम प्रीतमसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	07-08-1986 को विचारण न्यायालय से रजामंदी के आधार पर डिक्री प्राप्त कर ली जिसमें उक्त वादग्रस्त आराजी हरिया पुत्र निहाला के हिस्से में आयी है तथा उसके स्वर्गवास के बाद यह भूमि विरासत में नारायणसिंह व गम्भीरसिंह पुत्रगण श्री हरिया की खातेदारी में दर्ज हुई है और इस पर अपीलार्थीगण द्वारा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर क्रय कर दिनांक 06-06-2003 को कब्जा प्राप्त किया है। चूंकि प्रीतमसिंह द्वारा उक्त तथ्यों को छिपाकर एक प्रार्थना पत्र विक्रेतागण के विरूद्ध पेश कर एकतरफा में दिनांक 09-04-2003 को निर्णय करा लिया। जिसमें आगामी पेशी दिनांक 17-06-2005 को पूर्व के प्रार्थना पत्र में उसी पत्र के क्रम में दूसरा निर्णय दिया है। जिसके आधार पर वादग्रस्त भूमि को रेस्पोडेन्ट सं0 1 प्रीतमसिंह द्वारा अपनी खातेदारी में दर्ज करवाने हेतु रेस्पोडेन्ट नारायणसिंह व गम्भीरसिंह के नाम को कलमजन कराने का आदेश प्राप्त किया है। इस आदेश को ही बाद में दिनांक 22-06-2005 को संशोधित करवाया गया है। उक्त सभी तथ्यों को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 में वर्णन करते हुए अपील प्रस्तुत करने की अनुमति चाही थी जिस पर अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित निर्णय में कोई उल्लेख नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा विधिवत् रूप से रेस्पोडेन्ट नारायणसिंह व गम्भीरसिंह से वादग्रस्त आराजी खरीद की है जिसके रकबे में कमीबेशी करने का अथवा नारायणसिंह व गम्भीरसिंह के नाम को कलमजन कर रेस्पोडेन्ट प्रीतमसिंह के नाम खातेदारी दर्ज करने का अधिकार क्षेत्र विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी को नहीं था। जिसको अपीलीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, भरतपुर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / एल.आर. / 547 / 2006 / भरतपुर** **श्यामसिंह बनाम प्रीतमसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	द्वारा बहाल रखे जाने में विधिक त्रुटि कारित की है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर सम्भागीय आयुक्त, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19-01-2006 तथा उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09-04-2003 को निरस्त किया जाकर विवादग्रस्त भूमि को अपीलार्थीगण के नाम रजिस्टर्ड बयनामा के आधार पर खातेदारी में दर्ज किया जावे। 4- विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपीलांट के तर्कों के विरोध करते हुए उसमें अंकित कथनों को दोहराते हुये तर्क दिये है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित आदेश से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136 भू-राजस्व अधिनियम सही रूप से स्वीकार किया गया है। जिसकी अपीलीय न्यायालय में अपील होने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश दिनांक 19-01-2006 से अपीलांट की अपील निराधार पाये जाने से खारिज की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने से अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे। 5- उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी एवं अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया। 6- पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम पेश कर हाल आराजी खसरा नं0 387 रकबा 0.46, 388 रकबा 0.21 व 522 रकबा 0.57 है0 का प्रार्थी को खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण के नाम हो रहे इन्द्राज को कलमजन किया जावे। उक्त सन्दर्भ में रिपोर्ट तहसीलदार/पटवारी का अवलोकन किया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल.आर./547/2006/भरतपुर** **श्यामसिंह बनाम प्रीतमसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गया। रिपोर्ट अनुसार हाल खसरा नं0 407 रकबा 0.85 ऐयर में से 0.05 ऐयर कम कर खसरा नं0 523 रकबा 0. 34 ऐयर से 0.03 ऐयर कम कर कुल 0.08 ऐयर रकबा प्रार्थी के नाम हाल खसरा नं0 522 रकबा 0.57 ऐयर में 0.03 ऐयर व 388 रकबा 0.21 ऐयर में 0.05 ऐयर रकबा जोड़ा जाकर रकबे की पूर्ति करने के आदेश पारित किये गये है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट श्यामसिंह वगैरह द्वारा अपीलीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। जिसमें अपीलीय न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने आदेश दिनांक 19-01-2006 से अपीलांट की अपील खारिज की गयी है। 7- प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट का बहस में मुख्य तर्क यही है कि दिनांक 07-08-1986 को विचारण न्यायालय द्वारा पारिवारिक समझौते के आधार पर विभाजन की डिक्री पारित की गयी थी। जिसमें अपीलार्थीगण को वादग्रस्त भूमि के साबिक खसरा नं0 795 हरिया पुत्र निहाला के पक्ष में विभाजन के जरिये प्राप्त हुआ। जिसके नये नंबर 387, 388 व 522 बनाये गये। सम्वत् 2057-2060 में खाता नंबर 158 पर हरिया पुत्र निहाला कौम जाट साकिन लुदाई खातेदार दर्ज है। विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 09-04-2003 में जो कमीपूर्ति में रकबा दिया गया है, वह साबिक खसरा नं0 794 के 5 बीघा खसरा नं0 916 का रकबा 1-05 बीघा एवं खसरा नं0 917 रकबा 0-14 बीघा का बताकर हाल खसरा नं0 407 में 0-05 है0 रकबा यानि अधिक रकबा दर्ज होना बताया है और नये खसरा नं0 523 में 0-08 है0 रकबा कमाबेशी अर्थात अधिक दर्ज होना बताया है जबकि उक्त वर्णित साबिक हाल खसरा नंबरों से वादग्रस्त	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल.आर./547/2006/भरतपुर** **श्यामसिंह बनाम प्रीतमसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भूमि का कोई संबंध नहीं है और ना ही साबिक खसरा नंबर एवं वर्तमान खसरा नंबर का मिलान ही होता है। अपीलार्थीगण द्वारा खरीदा गया रकबा साबिक खसरा नं0 795 का रकबा है और जिसके नये खसरा नंबर 387, 388 एव 522 बनाये गये हैं जो रेस्पोडेन्ट सं0 2 व 3 के पिता हरिया के खाते में सम्वत् 2057 से 2060 में दर्ज है जिसमें कोई रकबा की कमीबेशी नहीं है परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा साबिका खसरा नं0 795 के रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा में 0-08 बीघा की कमीबेशी होना व अपनी खातेदारी का रकबा बताकर आदेश प्राप्त किया गया है जो न्यायोचित नहीं है तथा राजस्व रिकॉर्ड से भी मेल नहीं खाता है जिसे अपीलीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, भरतपुर द्वारा भी नजरअंदाज कर बिना राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किये ही केवल मात्र तकनीकी बिन्दु एवं मियाद पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज कर दी जो कि उचित नहीं है। 8- भू-राजस्व अधिनियम की **धारा 136 गलतियों का शुद्धिकरण - भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार-अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हें कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करे।** 9- धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में केवल भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा की गयी राजस्व रिकॉर्ड में गलती को ही दुरूस्त किया जा सकता है और अन्य पुराने दस्तावेजात अथवा जमाबन्दी एवं वर्तमान जमाबन्दी में यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो उसे दुरूस्त करने के अधिकार हैं। इसलिए विचारण	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल.आर./547/2006/भरतपुर** **श्यामसिंह बनाम प्रीतमसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय का आक्षेपित आदेश दिनांक 09-04-2003 विधि विरूद्ध एवं क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण निरस्तनीय है। जिसको अपीलीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, भरतपुर द्वारा नहीं देखा गया था। अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह माना है कि रेस्पोडेन्ट नारायणसिंह व गम्भीरसिंह द्वारा दिनांक 30-04-2003 को एकतरफा कार्यवाही को निरस्त करवाने का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 व आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया जिसे विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 26-02-2004 को खारिज कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा अपील अथवा निगरानी में कोई चाराजोही नहीं की है। इसलिए उन्हें यह अपील करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित निर्णय में दूसरा मुख्य कारण यह माना है कि अपीलार्थीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनने के प्रार्थना पत्र को खारिज करने के आदेश दिनांक 27-05-2005 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है। जबकि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 खारिज किया गया है जिस प्रकरण में अपीलार्थीगण आवश्यक पक्षकार बनना चाहते हैं उसका निर्णय पूर्व में ही हो चुका है और अब केवल उसकी इज़राय अथवा अमल दरामद की कार्यवाही चल रही है। अपीलार्थीगण द्वारा अपील के साथ धारा 96 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी का पारिवारिक समझौते के अनुसार दिनांक 07-08-1986 को विचारण न्यायालय से रजामंदी के आधार पर डिक्री प्राप्त कर ली जिसमें उक्त वादग्रस्त आराजी हरिया पुत्र निहाला के हिस्से में आयी है तथा उसके स्वर्गवास के बाद यह भूमि विरासत में नारायणसिंह व	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल.आर./547/2006/भरतपुर** **श्यामसिंह बनाम प्रीतमसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गम्भीरसिंह पुत्रगण श्री हरिया की खातेदारी में दर्ज हुई है और इसको अपीलार्थीगण द्वारा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर दिनांक 06-06-2003 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। चूंकि प्रीतमसिंह द्वारा उक्त तथ्यों को छिपाकर एक प्रार्थना पत्र विक्रेतागण के विरूद्ध पेश कर निर्णय दिनांक 09-04-2003 को एकतरफा में निर्णय करा लिया। जिसमें आगामी पेशी दिनांक 17-06-2005 को पूर्व के प्रार्थना पत्र में उसी पत्र के क्रम में दूसरा निर्णय दिया गया है जिसके आधार पर वादग्रस्त भूमि को रेस्पोडेन्ट सं0 1 प्रीतमसिंह ने अपनी खातेदारी में दर्ज करवाने हेतु रेस्पोडेन्ट नारायणसिंह व गम्भीरसिंह के नाम को कलमजन कराने का आदेश प्राप्त किया है। इसी आदेश को बाद में दिनांक 22-06-2005 को संशोधित करवाया गया है। उक्त सभी तथ्यों का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 में वर्णन करते हुए अपील प्रस्तुत करने की अनुमति चाही थी। जिसका अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित निर्णय में कोई उल्लेख नहीं किया है। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा विधिवत् रूप से रेस्पोडेन्ट नारायणसिंह व गम्भीरसिंह से वादग्रस्त आराजी खरीद की है जिसके रकबे में कमीबेशी करने का अथवा नारायणसिंह व गम्भीरसिंह के नाम को कलमजन कर रेस्पोडेन्ट प्रीतमसिंह के नाम खातेदारी दर्ज करने का अधिकार क्षेत्र विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी को नहीं था। इसको अपीलीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, भरतपुर द्वारा भी बहाल रखे जाने में विधिक त्रुटि कारित की है। इसलिए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विधिसम्मत नहीं होकर निरस्त योग्य है तथा अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल.आर./547/2006/भरतपुर** **श्यामसिंह बनाम प्रीतमसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	10- अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट न्यायहित में **स्वीकार** की जाती है। संभागीय आयुक्त, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19-01-2006 एवं उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09-04-2003 को निरस्त किये जाकर सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (प्रथम) भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-08-1986 की पुष्टि की जाती है। 11- पत्रावली फैसल शुमार हो, निर्णय की सूचना कम्प्यूटर के माध्यम से प्रदान की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(गौरव बजाड़)** **सदस्य**	